भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4018
दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

फ्लाई ऐश के निपटान की प्रक्रिया

4018. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के अधीन विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत से उत्पन्न पाउंड ऐश और फ्लाई ऐश की मात्रा का संयंत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा ऐसी राख के परिवहन के लिए किसी यांत्रिक रूप से डिजाइन किए गए ढके हुए वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) फ्लाई और पाउंड ऐश के निपटान और परिवहन की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) फ्लाई ऐश के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक या निजी कंपनियों के साथ अनुबंध करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड के मानदंड क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न ऐश (पोंड ऐश सहित) का संयंत्र-वार विवरण अनुबंध पर है।

(ख) और (ग) : सूखी फ्लाई ऐश को बंद बल्करों में भरकर विद्युत संयंत्र से सीमेंट विनिर्माण संयंत्रों, ईंट विनिर्माण इकाइयों आदि तक पहुंचाया जाता है तथा ऐश डाइक से पोंड ऐश को तिरपाल से ढके बल्करों/ट्रकों के माध्यम से पर्यावरणीय अनुकूल तरीकों से पहुंचाया जाता है।

(घ) : एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में ऐश (सूखी फ्लाई ऐश और पोंड ऐश) के निपटान और परिवहन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) टीपीपी से उत्पन्न ऐश का उपयोग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) की अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, ताकि ऐश के उपयोग के वैधानिक अनुपालन को पूरा किया जा सके;

(ii) ऐश का भंडारण और निकासी सुरक्षित, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से की जा रही है। एनटीपीसी ऐश के उपयोग को विद्युत उत्पादन की एक अभिन्न प्रक्रिया मानता है और इसके उपयोग के लिए एनटीपीसी की एक विशिष्ट नीति है;

(iii) सूखी फ्लाई ऐश को वायु उत्सर्जन नियंत्रण के लिए संस्थापित उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) से एकत्र किया जाता है और 'ऐश साइलो' में संग्रहीत किया जाता है और संयंत्र से बंद बल्कर्स में सूखी ऐश निष्कर्षण प्रणाली (डीएईएस) के माध्यम से सीमेंट विनिर्माण संयंत्र, ईंट निर्माण इकाइयों आदि को जारी किया जाता है;

(iv) पोंड ऐश को ढके हुए बल्कर्स में एनएचएआई की सड़क निर्माण (सम्पूर्ण भारत), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सड़क विकास निगम आदि परियोजनाओं के लिए भेजा जाता है;

(v) ताप विद्युत संयंत्रों में सभी आवश्यक धूल नियंत्रण उपायों को लागू किया जाता है;

(vi) पोंड ऐश को ऐश डाइक में संग्रहित किया जाता है और आगे, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निकाला / परिवहन किया जाता है;

(vii) ऐश पोंड का अधिकांश क्षेत्र गीला रहता है जिससे उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण होता है;

(viii) सड़कों पर ऐश फैलने से बचने के लिए सभी ऐश से भरे ट्रकों को तिरपाल से ढका जाता है।

(ङ) : एनटीपीसी लिमिटेड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से फ्लाई ऐश के परिवहन और प्रबंधन के लिए किसी भी सार्वजनिक या निजी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं.4018

अनुबंध

एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) से उत्पन्न ऐश (सूखी फ्लाई ऐश और पोंड ऐश) का विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर तक)	
		कुल ऐश उत्पादन (एलएमटी)	पोंड ऐश उत्पादन (एलएमटी)	कुल ऐश उत्पादन (एलएमटी)	पोंड ऐश उत्पादन (एलएमटी)	कुल ऐश उत्पादन (एलएमटी)	पोंड ऐश उत्पादन (एलएमटी)	कुल ऐश उत्पादन (एलएमटी)	पोंड ऐश उत्पादन (एलएमटी)	कुल ऐश उत्पादन (एलएमटी)	पोंड ऐश उत्पादन (एलएमटी)	कुल ऐश उत्पादन (एलएमटी)	पोंड ऐश उत्पादन (एलएमटी)
1	बाढ़ सुपर	20.64	15.28	20.4	12.54	21.56	15.48	32.56	24.47	37.28	29.26	31.67	26.23
2	भिलाई	7.07	0.54	10.48	5.21	11.42	6.94	10.77	4.24	11.61	4.38	7.55	2.75
3	बोंगाईगांव	7	3.82	5.24	1.95	7.57	3.18	10.25	4.48	11.74	5.66	7.45	2.7
4	बीआरबीसीएल नबीनगर	11.23	5.67	12.98	9.17	16.11	13.46	17.96	14.33	20.28	16.84	12.58	9.35
5	दादरी	15.2	2.64	9.41	0.00	12.85	0.71	22.9	1.82	23.32	1.75	17.6	1.71
6	दर्लिपल्ली	1.12	1.12	15.48	15.43	30.63	30.6	38.86	37.9	43.1	38.99	25.68	19.38
7	फरक्का	31.81	28.58	28.25	18.9	27.88	22.59	25.22	23.22	29.84	27.82	22.96	21.05
8	गाडरवाड़ा	2.88	2.87	9.44	8.66	16.85	15.72	19.59	18.99	21.33	20.93	13.77	13.39
9	आईजीएसटीपीएस झज्जर	8.62	0.00	8.46	0.00	16.42	6.07	18.3	5.44	21.43	8.75	15.68	8.55
10	कहलगांव	48.48	39.36	40.17	28.75	42.31	31.33	35.47	25.74	45.95	35.72	36.32	31.85
11	कांति टीपीएस	8.25	7.54	7.1	5.82	7.88	6.64	7.54	6.09	8.5	7.41	5.13	4.33
12	खरगोन	1.27	1.21	8.13	3.98	14.08	7.58	12.99	5.53	17.65	8.15	14.6	6.82
13	कोरबा	49.98	49.21	47.93	33.36	51.67	50.59	54.57	52.9	51.95	49.9	34.55	32.11
14	कुडगी	8.93	0.21	9.82	5.34	13.25	7.12	22.3	9.54	29.79	10.46	19.81	6.62
15	लारा	5.66	5.62	13.52	13.38	32.31	32	36.04	35.11	31.71	29.02	20.19	19.98
16	मौदा	23.3	14.34	17.06	10.15	34.06	19.44	34.05	11.45	39.24	16.33	23.14	7.64

क्रम सं.	स्टेशन	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर तक)	
17	एनपीजीसी नबीनगर	6.44	3.13	10.43	5.04	16.84	8.27	26.07	14.5	29.92	19.61	24.19	18.2
18	एनएसपीसीएल दुर्गापुर	2.25	0.00	2.01	0.09	2.77	2.5	3.22	1.72	3.11	1.76	2.09	1.2
19	रामागुंडम	38.16	22.46	38.57	4.17	39.38	27.74	43.25	28.31	45.49	29.82	28.5	22.15
20	रिहंद	39.01	38.01	39.22	31.06	37.09	33.49	40.38	36.17	42.23	38.69	27.77	25.32
21	सिम्हाद्री	26.28	18.85	24.5	13.57	35.77	20.69	34.91	26.34	31.1	19.92	21.09	16.11
22	सिंगरौली	32.06	31.96	29.84	29.79	30.34	30.24	30.09	28.96	30.33	30.33	24.1	24.1
23	सीपत	49.05	41.55	52.47	47.39	51.98	47.54	48.4	44.98	53.53	42.71	40.92	28.46
24	सोलापुर	1.53	0	7.58	0.15	11.36	3.65	13.38	1.71	16.14	3.94	11.33	4.13
25	तालचेर-कनिहा	70.09	68.8	68.45	66.96	69	62.29	64.85	55.07	68.7	53.27	46.58	26.53
26	तालचेर-थर्मल*	11.84	11.84	11.89	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	टांडा	9.69	6.18	16.74	12.09	22.56	15.94	26.01	20.53	26.07	18.94	19.84	16.43
28	ऊंचाहार	21.65	12.46	19.77	11.48	20.85	11.73	20.19	11.04	20.93	11.84	17.84	10.64
29	विन्ध्याचल	88.57	85.24	87.14	79.88	82.37	75.68	76.64	68.48	66.82	57.2	43.84	38.31
30	बरौनी टीपीएस	0.73	0.71	3.3	2.7	6.01	2.94	10.77	4.93	9.84	4.53	7.03	2.93
31	भिलाई कैपटिव	1.69	0.14	1.35	1	1.81	1.48	1.43	0.94	1.77	1.31	1.26	0.96
32	मेजा टीपीपी	2.74	2.74	10.2	4.48	18.23	6.65	15.73	7.13	17.85	6.81	13.46	6.15
33	एनएसपीसीएल राउरकेला	3.72	2.44	3.59	2.62	4.2	3.06	4.97	2.6	6.32	2.26	4.85	2.27
34	तेलंगाना एसटीपीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.81	17.67	16.16
35	वल्लूर	17.33	9.13	12.77	6.46	24.47	13.27	29.46	19.63	18.29	10.84	17.44	11.75
36	उत्तरी करणपुरा एसटीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	14.73	19.39	19.39
	कुल योग	**674.27**	**533.65**	**703.69**	**500.57**	**831.88**	**636.61**	**889.12**	**654.29**	**954.70**	**686.69**	**697.87**	**505.65**

नोट: कुल ऐश उत्पादन में सूखी फ्लाई ऐश और पोंड ऐश शामिल है; * दिनांक 31.03.2021 से प्रचालन बंद कर दिया गया है

****